न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. हितेश कुमार भोजक पुत्र जयदेव भोजक, जाति- ब्राह्मण, G-1-104, Ambaji Industrial Area, Aburoad, जिला- सिरोही

फर्म:- Ashapura Distributors, G-1-104, Ambaji Industrial Area, Aburoad, जिला- सिरोही

2. कैलाश कुमार खण्डेलवाल, प्रोपराईटर, अरावली स्टोर, डॉ.सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, अम्बे मां मंदिर, सिरोही, जिला- सिरोही
3. Singodiya Sales, वृन्दावन नगर, राधाकिशन पुरा, वार्ड नं. 37, सीकर
4. Swastic Agro Products, Talhtmal Road, Kalanwali, Dist. Sirsa, Pin-125201 (HR)

प्रकरण संख्या: 34/2016

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री अमृत लाल शाह, प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से
2. अधिवक्ता श्री शैतान खरोर, प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से
4. अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 28 अक्टूम्बर, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या-1 (हितेश कुमरी भोजक) के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 13.5.2015 को 3.00 पी.एम. पर फर्म आशापुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स, जी-1-104, अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड पर पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से हितेश कुमार भोजक पुत्र जयदेव भोजक, जाति- ब्राह्मण, जी-1-104, अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड उपस्थित मिले, जो आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं इसकी सूचना ... में खाद्य कारोबारकर्ता को गवाहान के समक्ष भरकर दी ... में 96 पैक्ड

....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

बोतल (प्रत्येक एक लीटर) कार्टून के अन्दर जमीन पर बिक्री हेतु रखी हुई थी जिसमें से 1X4 पैक्ड बोतल Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) खरीद की एवं उसकी कीमत 133/- रुपये खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-383, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों खरीद शुदा Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) की पैक्ड बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-383 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता हितेश कुमार भोजक व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.5.2015 को उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विशलेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है तथा नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा दिनांक 15.5.2015 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता हितेश कुमार भोजक से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) का नमूना S-383 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, ... नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

अध्ययन कर प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक के द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त हितेश कुमार भोजकर को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत लाल शाह उपस्थित हुये एवं प्रकरण की सुनवाई के प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) की पैक्ड बोतलें फर्म अरावली स्टोर्स, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, अम्बे मां मंदिर, सिरोही से खरीद किये जाने का बिल प्रस्तुत किया। जिस पर प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक के अधिवक्ता को सुना गया। प्रकरण में प्रतिवादी हितेश कुमार भोजकर द्वारा खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) से वेट इनवोइस बिल नं. 00268 दिनांक 05.5.2015 द्वारा खरीद किया जाने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 78 के तहत अरावली स्टोर, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, अम्बे मां मंदिर के पास, सिरोही जरिये प्रोपराईटर (प्रतिवादी संख्या-2) को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान खरोर उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी अरावली स्टोर्स की ओर से जवाब प्रस्तुत किया एवं जवाब के साथ खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) की खरीद के बिल प्रस्तुत किये। जिस पर बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रस्तुत बिलों के अनुसार फर्म Swastic Agro Products, Talhtmal Road, Kalanwali, Dist. Sirsa (H.R.) द्वारा वेट इनवोईस नम्बर 20 दिनांक 17.4.2015 के द्वारा Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) की एक-एक लीटर की पैक्ड बोतलें सिंगोडिया सेल्स, वृन्दावन नगर, राधाकिशन पुरा, वार्ड नं. 37, सीकर को विक्रय किया जाने से तथा सिंगोडिया सेल्स, वृन्दावन नगर, राधाकिशन पुरा, वार्ड नं. 37, सीकर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) की एक-एक लीटर की पैक्ड बोतलें अरावली स्टोर्स, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, अम्बे मां मंदिर, सिरोही के माध्यम से प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक की फर्म आशापुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स को विक्रय किया जाना पाये जाने पर इस न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 78 के तहत सिंगोडिया सेल्स (प्रतिवादी संख्या-3) व Swastic Agro Products (प्रतिवादी) को पक्षकार बनाया

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

जाकर नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-3 को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल होने के बाद भी प्रतिवादी संख्या-3 (सिंगोडिया सेल्स) की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 18.10.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस न्यायालय उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1, 2 व 4 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या-1 (हितेश कुमार भोजक) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) की एक-एक लीटर की पैक्ड बोतले मूल कम्पनी पैक्ड अवस्था में ही प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक की फर्म आशापुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स में प्रतिवादी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना जांच हेतु खरीदी थी, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप पाई गई। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के पैकिंग लेबल पर List of Ingredients में उक्त खाद्य पदार्थ में जो Added flavours मिलाया है उसका विवरण लेबल पर अंकित किया है परन्तु Artificial flavouring sub stance used in products का कॉमन नाम लेबल पर अंकित नही किया जाने से उक्त खाद्य पदार्थ को मिथ्याछाप माना गया है। यह कि प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक द्वारा पैक्ड अवस्था में उक्त खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) को क्रय कर विक्रय किया है। उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण व पैकिंग निर्माता फर्म स्वस्तिक एग्रो प्रोडक्टस् ने किया है इस कारण से मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ उत्पाद के अपराध के लिये निर्माता फर्म ही जिम्मेदार व दोषी है। यह कि अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक को नही भिजवाई है, जिसके कारण प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक उक्त पदार्थ के नमूनें की रेफरल लेब से जांच कराने के अपील के अधिकार से वंचित रहा है। यह कि उक्त अधिनियम की धारा 77 के अनुसार अपराध के घटित होने के एक वर्ष के भीतर न्यायालय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। चूंकि इस प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 27.5.2015 में उक्त खाद्य पदार्थ को मिथ्याछाप माना है एवं ऐसी स्थिति में दिनांक 27.5.2015 के एक वर्ष के भीतर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायालय में न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 04.7.2015 को एक वर्ष की अवधि के बाद प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में दिनांक 22.8.2016 को पंजीबद्ध हुआ है, इस कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी का न्याय निर्णयन आवेदन अवधि बाहर होने के कारण कानूनन परिपोषणीय नही है, इसलिये प्रतिवादी संख्या-1 (हितेश कुमार भोजक) के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या-2 को इस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा गलत रुप से पक्षकार बनाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ का न तो प्रतिवादी संख्या-2 निर्माता एवं न ही प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म ने उक्त खाद्य पदार्थ को प्रतिवादी संख्या-1 की फर्म आशापुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचान किया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ को सिंगोडिया सेल्स से फर्म अरावली स्टोर्स को विक्रय हेतु प्राप्त हुआ था, जो सिंगोडिया सेल्स द्वारा ही आशापुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स को विक्रय किया गया है, इसलिये प्रतिवादी संख्या-2 के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या-4 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या-4 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 32 की पालना नही की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 32 के तहत अभिहित अधिकारी ने लेबल पर हुई त्रुटि के सुधार हेतु निर्माता को कोई नोटिस नही दिया है, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 32 के तहत त्रुटि सुधार का नोटिस दिया जाना आवश्यक था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने धारा 32 के तहत सुनवाई व सुधार का अवसर दिये बिना ही न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। निर्माता स्वस्तिक एग्रो प्रोडक्टस् द्वारा अपने खाद्य उत्पाद में निर्धारित मानको को पूर्ण रुप से ध्यान रखकर उत्पाद का निर्माण किया जाता है। उत्पाद अमानक या असुरक्षित नही पाया गया है। उक्त खाद्य उत्पाद किस कारण मिथ्याछाप पाया गया है उसका उल्लेख जांच रिपोर्ट में नही किया है। निर्माता फर्म द्वारा अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य का पूर्ण रुप से ध्यान रखकर ही अपने उत्पाद का निर्माण किया जाता है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 13.5.2015 को 3.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म आशापुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स, जी-1-104, अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म आशापुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से हितेश कुमार भोजक पुत्र जयदेव भोजक, जाति- ब्राह्मण, जी-1-104, अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म आशापुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स, जी-1-104, अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री लक्ष्मण राम, एन.एम.ए., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता हितेश कुमार भोजक को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह के

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

समक्ष दुकान में विक्री हेतु मौजूद Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) की 96 पैक्ड बोतलों में से Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) की 4 पैक्ड बोतले (प्रत्येक एक लीटर) को नमूना जांच हेतु क्रय की एवं उसकी कीमत राशि 133/- (अक्षरे रुपये एक सौ तैतीस मात्र) विक्रेता को नकद अदा कर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता हितेश कुमार भोजक, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेवल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-383, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेवल पर खाद्य कारोबारकर्ता हितेश कुमार भोजक व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना भागों पर एक-एक लेवल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-383 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता हितेश कुमार भोजक, उक्त गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.5.2015 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है

.....पेज सात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 15.5.2015 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) के नमूना संख्या S-383 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./343/Act/2015/343 दिनांक 27.5.2015 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म आशापुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स, जी-1-104, अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता हितेश कुमार भोजक से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2015/2949-50 दिनांक 04.6.2015 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक को पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 46(4) की पालना हुई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 28.12.2015 को प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन इस न्यायालय द्वारा कमी पूर्ति हेतु पुनः लौटाया गया, जो इस न्यायालय में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पुनः प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय में दिनांक 22.8.2016 को पंजीबद्ध हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उक्त अपराध घटित होने के वर्ष की अवधि के भीतर न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निर्माता फर्म Swastic Agro Products (प्रतिवादी संख्या-4) ने खाद्य पदार्थ Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) की एक-एक लीटर की पैक्ड बोतले सिंगोडिया सेल्स (प्रतिवादी संख्या-3) को जरिये बिल विक्रय की गई। प्रतिवादी फर्म सिंगोडिया सेल्स द्वारा Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) की एक-एक लीटर की पैक्ड बोतलें अरावली स्टोर्स, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, अम्बे मां मंदिर के पास, सिरोही के माध्यम से प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक को फर्म आशापुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स को विक्रय की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक [illegible]/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के

....पेज आठ पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) का विक्रय करने के कारण प्रतिवादी हितेश कुमार भोजक पुत्र जयदेव भोजक, जाति- ब्राह्मण, जी-1-104, अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, Ashapura Distributors, G-1-104, अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र), प्रतिवादी कैलाश कुमार खण्डेलवाल, प्रोपराईटर, अरावली स्टोर, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, अम्बे मां मंदिर के पास, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र), प्रतिवादी फर्म सिंगोडिया सेल्स, वृन्दावन नगर, राधाकिशन पुरा, वार्ड नम्बर 37, सीकर, जिला- सीकर पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री Ready to serve fruit Beverages (Mahi Mango Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म Swastic Agro Products, Talhtmal Road, Kalanwali, Dist. Sirsa, Pin-125201 (HR) पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व प्रतिवादी फर्म संख्या 3 व 4 के प्रोपराईटर/भागीदार को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवायें। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested